18-3-26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी द्वारा पत्रावली में No Instruction
किया गया। वादीया की उपस्थिति हेतु
तीन बार आवाज लगवायी गई।
न्यायालय समय तक वादीया अनुपस्थित
होने से एक तरफा कार्यवाही अमल
में लायी जाकर वाद निरस्त किया
जाता है। पत्रावली नम्बरान से कम कर
दाखिल दफ्तर के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल